



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2019/चैत्र 15, 1941

No. 123]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2019/CHAITRA 15, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सं. भा.आ.प.-18(1)/2019-मेड./101874.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000"में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

1. (i) ये विनियम "अध्यायन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहे जायेंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000"में विनियमावली के भाग I और II में खंड 2 के प्रथम पैरे के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

"परंतु यह कि जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड कार्यालय चला रहा है, इसलिए आवेदनपत्र, महासचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, पॉकेट 14,

सैक्टर- 8, द्वारका, नई दिल्ली-110077 को प्रस्तुत किए जाएंगे और इन विनियमों से संलग्न समय अनुसूची के अनुसार प्रोसेस किए जाएंगे।”

3. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000"में समय सारणी और टिप्पणी में, परिशिष्ट- II के पश्चात, मौजूदा अनुसूची के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा, स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों को खोलने हेतु /प्रवेश क्षमता (सामान्य विशेषज्ञता) की वृद्धि के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति और आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग की समय अनुसूची

क्र.सं.	प्रोसेसिंग का चरण	अंतिम तारीख
1.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति	15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच (किसी वर्ष में दोनों दिन शामिल करते हुए)
2.	परिषद् के कार्यालय द्वारा आवेदनपत्रों की संवीक्षा, जिसमें अपूर्ण आवेदनपत्रों का अस्वीकरण सूचित किया गया हो और परिषद् के कार्यालय द्वारा आवेदक से त्रुटिपूर्ण दस्तावेज, यदि कोई हों, मांगे गए हों।	7 मई
3.	त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	21 मई
4.	तकनीकी संवीक्षा और मूल्यांकन	30 सितंबर
5.	कमियों के संबंध में आवेदक को संसूचन	15 अक्टूबर
6.	शासी बोर्ड द्वारा सुनवाई प्रदान करना और अनुपालन का प्रस्तुतीकरण	30 नवंबर
7.	अनुपालन सत्यापन का मूल्यांकन	31 दिसंबर
8.	सशर्त अनुमतिपत्र/निरनुमोदन जारी करना	31 जनवरी
9.	बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण	15 फरवरी
10.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	28/29 फरवरी

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा, स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों को खोलने हेतु /प्रवेश क्षमता (अति विशेषज्ञता) की वृद्धि के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति और आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग की समय अनुसूची

क्र.सं.	प्रोसेसिंग का चरण	अंतिम तारीख
1.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति	1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच (किसी वर्ष में दोनों दिन शामिल करते हुए)
2.	परिषद् के कार्यालय द्वारा आवेदनपत्रों की संवीक्षा, जिसमें अपूर्ण आवेदनपत्रों का अस्वीकरण सूचित किया गया हो और परिषद् के कार्यालय द्वारा आवेदक से त्रुटिपूर्ण दस्तावेज, यदि कोई हों, मांगे गए हों।	30 सितंबर
3.	त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	15 अक्टूबर
4.	तकनीकी संवीक्षा और मूल्यांकन	31 दिसंबर
5.	कमियों के संबंध में आवेदक को संसूचन	15 जनवरी

6.	शासी बोर्ड द्वारा सुनवाई प्रदान करना और अनुपालन का प्रस्तुतीकरण	28/29 फरवरी
7.	अनुपालन सत्यापन का मूल्यांकन	15 अप्रैल
8.	सशर्त अनुमतिपत्र/निरनुमोदन जारी करना	30 अप्रैल
9.	बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण	15 मई
10.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	31 मई

डॉ. आर के. वत्स, महासचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

[विज्ञापन- III/4/असा./07/19]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामतः “अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34 (41)/2000/मेड के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 7 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22/03/2005, 23/09/2009, 09/12/2009, 29/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010, 03/11/2010, 29/12/2015, 29/04/2016, 06/07/2017, 08/06/2018, 20/06/2018, 12/07/2018 और 28/01/2019 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित की गई थी।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

No. MCI-18(1)/2019-Med./101874.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000.” namely:-

1. (i) These regulations may be called “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) (Amendment), Regulations 2019.”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000.”, the following shall be added after first para of clause 2 in Part I & Part II of the Regulations :-

“Provided that while the Board of Governors in super-session of Medical Council of India are in office the applications shall be submitted to the Secretary General, Board of Governors in Super-Session of Medical Council of India from Pocket 14, Sector – 8, Dwarka, New Delhi – 110077 and shall be processed in accordance with time schedule annexed to these regulations.”
3. In the Schedule and Note in “The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000.” after Appendix-II, the following shall be added after existing schedule.

TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF THE APPLICATIONS FOR OPENING OF POST GRADUATE (BROAD SPECIALITY) COURSES/INCREASE OF ADMISSION CAPACITY (BROAD SPECIALITY) AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION OF THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA

S. No.	Stage of Processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India	Between 15 th March to 7 th April (both days inclusive of any year)
2.	Scrutiny of application by the Council office, conveying rejection of incomplete applications and seeking of defective documents, if any from the applicant by the Council office.	7 th May
3.	Last date of submission of defective documents	21 st May
4.	Technical Scrutiny and assessment	30 th September
5.	Communication to the applicant regarding deficiencies	15 th October
6.	Grant of hearing by the Board of Governors and submission of compliance	30 th November
7.	Compliance Verification Assessment	31 st December
8.	Issuance of Conditional Letter of Permission /Disapproval	31 st January
9.	Submission of Bank Guarantee	15 th February
10.	Issuance of Letter of Permission by the Board of Governors in super-session of the Medical Council of India	28 th /29 th February

TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF THE APPLICATIONS FOR OPENING OF POST GRADUATE (SUPER SPECIALITY) COURSES/INCREASE OF ADMISSION CAPACITY (SUPER SPECIALITY) AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION OF THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA

S. No.	Stage of Processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India	Between 1 st August to 21 st August (both days inclusive of any year)
2.	Scrutiny of application by the Council office, conveying rejection of incomplete applications and seeking of defective documents, if any from the applicant by the Council office.	30 th September
3.	Last date of submission of defective documents	15 th October
4.	Technical Scrutiny and assessment	31 st December
5.	Communication to the applicant regarding deficiencies	15 th January
6.	Grant of hearing by the Board of Governors and submission of compliance	28 th /29 th February
7.	Compliance Verification Assessment	15 th April
8.	Issuance of Conditional Letter of Permission /Disapproval	30 th April

9.	Submission of Bank Guarantee	15 th May
10.	Issuance of Letter of Permission by the Board of Governors in super-session of the Medical Council of India	31 st May

Dr. R. K. VATS, Secy. General, Medical Council of India

[ADVT.-III/4/Exty./07/19]

Footnote: The Principal Regulations namely, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate course of Study or Training) Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October vide Medical Council of India Notification No.34(41)/2000-Med, dated the 14th August, 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 22/03/2005; 23/09/2009; 09/12/2009; 29/12/2009; 11/01/2010; 16/04/2010, 03/11/2010, 29/12/2015, 29/04/2016, 06/07/2017, 08/06/2018, 20.06.2018, 12.07.2018 & 28.01.2019.